इकाई 25 मानव अधिकार और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

संरचना

25.1 प्रस्तावना

25.2 मानव अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीयकरण

25.3 विश्व व्यापार का विकास : विहंगावलोकन

25.4 विश्व व्यापार संगठन की भूमिका

25.5 मानव अधिकारों के लिए पराराष्ट्रीय निगमों का उत्तरदायित्व

25.6 मूनवासी लोगों के अधिकार

25.7 बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का व्यापारिक पहलू

25.8 गरीब देशों की उपेक्षा

25.9 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विनियमित करनाः टी एन सीज़ के लिए आचार संहिता

25.10 सारांश

25.11 अभ्यास प्रश्न

25.1 प्रस्तावना

समसामयिक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंधों में दो महत्वपूर्ण विकास दिखाई दिये हैं। एक, 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद उसके संरक्षण में बहुत अधिक मानव अधिकार कानून बनाए गए। इसके फलस्वरूप समसामयिक चर्चा में मानव अधिकार शब्द एक "सूचक शब्द" बन गया है। वास्तव में, मानव अधिकार को ऐसा कहा जा सकता है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव ब्रूट्रोस ब्रूट्रास-घाली ने वियाना, आस्ट्रिया में मानव अधिकार पर विश्व सम्मेलन (14-25 जून, 1993) में अपने उद्घाटन भाषण में कहा था कि "मानवता की सामान्य भाषा और समस्त राजनीति का आधारभूत मानदंड बन गया है।" दूसरा, हम विश्व अर्थव्यवस्था का भूमंडलीयकरण देख रहे हैं। विश्व अर्थव्यवस्था का रूपांतरण बहुत तेजी से हो रहा हैः व्यापार और निवेश के लिए राष्ट्रीय अवरोधों की कमी, दूरसंचार और सूचना प्रणालियों का विस्तार, विश्वव्यापी फर्मों का पारस्परिक नेटवर्क और संगठन, ई-कामर्स का प्रवेश, बहु-राष्ट्रीय उद्यमों की भूमिका की वृद्धि, प्रादेशिक आर्थिक एकीकरण और एक ही एकीकृत विश्व बाजार का विकास। इस प्रकार के वातावरण में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास निरंतर और अधिक तेजी से हुआ है जिसे 1995 में विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation – WTO) की स्थापना से संस्थानिक और विनियमित किया गया है। पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन व्यवस्था की जिसने लम्बे समय में अर्थव्यवस्थाओं और व्यापार पर नियंत्रण किया हुआ था, समाप्ति ने विश्व अर्थव्यवस्था और व्यापार की भूमंडलीयकरण की प्रक्रिया में आगे और योगदान किया।

बहुत से विद्वानों और राष्ट्रों ने स्वीकार किया हैं तथा उनका विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विकासशील/गरीब देशों की सहभागिता उनकी आर्थिक समृद्धि और औद्योगिक विकास में बहुत योगदान करेगी और परिणामस्वरूप यह उनके लोगों का जीवन स्तर उठाने में सहायक होगा। इसके अलावा, यह माना गया है कि यह समृद्धि अंततोगत्वा मनुष्य की दशाओं और प्रत्येक व्यक्ति के मानव अधिकारों की संभावनाओं को सुधारेगा। मुक्त व्यापार के समर्थकों के इस प्रकार के दावों और

विश्वासों के प्रतिकूल मानव अधिकार बहुत खतरे में है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्य रूप से लाभ कमाने के सिद्धान्त पर कार्य करता है, न कि मानव अधिकारों के सम्वर्धन एवं सम्मान करने पर। प्रोफेसर उपेन्द्र बक्शी ने आलोचनात्मक दृष्टि से विचार व्यक्त किया है कि समस्त मानव प्राणी के मानव अधिकारों का प्रतिमान स्थिर गति से परन्तु निश्चित रूप से, व्यापार से संबंधित प्रथा द्वारा नष्ट किये जा रहे हैं। इस इकाई का मुख्य फोकस यह स्पष्ट करना है कि लोगों के, विशेषकर कामगारों के मानव अधिकारों का उल्लंघन लाभ अर्जित करने वाले उन पराराष्ट्रीय निगमों (Transnational Corporations – TNCs) और औद्योगिक राज्यों द्वारा उनके भारी प्रभाव में किस प्रकार किया गया है।

25.2 मानव अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीयकरण

वस्तुतः मानव इतिहास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्रान्तिकारी विकास कार्यों में एक है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंधों में पहली बार "मानव अधिकारों" की व्यापक सूची को स्वीकार किया गया है जिसे प्रत्येक व्यक्ति, अपने मूल, धर्म, जाति, रंग, लिंग, राष्ट्रीयता आदि को ध्यान में रखे बिना मानव समाज के सदस्य के रूप में दावा कर सकता है। 1948 से संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों के विभिन्न क्षेत्रों पर लगभग 100 मानव अधिकार प्रलेखों (जैसे घोषणाएँ, कन्वेंशन, कान्वेंट, प्रोटोकॉल और संकल्प) को स्वीकार किया, इसमें मानव जीवन के सम्पूर्ण स्तरों को सम्मिलित किया गया है। फिर भी, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इन प्रलेखों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैः मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा (Universal Declarationof Human Rights – UDHR), 1948, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR), 1966, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय कान्वेंट (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR), 1966, ये सभी मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार बिल के भाग है। विश्व के इतिहास में स्वीकार किया, यह पहला ऐसा बिल है जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंधों की कार्यसूची में मानव अधिकारों के संवर्धन का मामला लाया है।

आइए, हम उन अधिकारों पर चर्चा करें जिनका उल्लेख अन्तर्राष्ट्रीय बिल में किया गया है। यू.डी. एच.आर. जो मानव जाति का महाधिकार पत्र था, नागरिक-राजनीतिक दोनों अधिकारों की तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की भी घोषणा करता है। 1966 के दो कान्वेंट आगे यू डी एच आर में उल्लिखित अधिकारों के इन दो सेटों को सविस्तार प्रतिपादित करते हैं। ये कान्वेंट उन राज्यों पर बाध्यकारी है जिन्होंने इनकी अभिपुष्टि की है जैसा कि यू डी एच आर में नहीं होता है। यह ध्यान में रखा जाए कि यू.डी.एच.आर. (अनुच्छेद 17) में सम्मिलित सम्पति का अधिकार दो कन्वेंटों में नहीं है।

आई सी सी पी आर निम्नलिखित अधिकारों को निर्दिष्ट करता है (अनुच्छेद 6-27): जीवन का अधिकार; स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार, गुलामी और बंधुआ मज़दूरी से स्वतंत्रता; उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार से स्वतंत्रता; हवालात में रखे व्यक्तियों को मानवीय व्यवहार पाने का अधिकार; ऋण के लिए कारावास से स्वतंत्रता; आवागमन की और निवास के विकल्प की स्वतंत्रता; इच्छित निष्कासन से विदेशियों की स्वतंत्रता; निष्पक्ष मुकद्दमा का अधिकार; आपराधिक कानून की प्रतिक्रिया से सुरक्षा; कानून के सम्मुख व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार; विचारों, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता; युद्ध के लिए और राष्ट्रीय, जातीय या धार्मिक घृणा भड़काने के प्रचार का निषेध, शान्तिपूर्ण जनसभा का अधिकार, विवाह और परिवार स्थापना का अधिकार, बच्चे का अधिकार, राजनीतिक

अधिकार, कानून के सम्मुख समानता; और अल्पसंख्यकों के अधिकार। इस प्रकार यह विस्तृत सूची है और यू डी एच आर पर मानव अधिकारों पर यूरोपीय अभिसमय में उल्लिखित अधिकारों की अपेक्षा आई सी सी पी आर में अधिक है।

इसी प्रकार आई सी ई एस सी आर भी राज्य दलों द्वारा सुरक्षित किए जाने के लिए (अनुच्छेद 6 - 15 में) अधिकारों की ब्यौरेवार सूची मुहैया करता है। इनमें शामिल हैः कार्य का अधिकार, उपयुक्त मज़दूरी, समान कार्य के लिए समान वेतन अहित कार्य की यथोचित और अनुकूल दशाओं का अधिकार, हड़ताल करने के अधिकार सहित ट्रेड यूनियनें बनाने और उसमें शामिल होने का अधिकार; सामाजिक सुरक्षा का अधिकार; माताओं और बच्चों के लिए विशेष सहायता सहित परिवार की सुरक्षा; पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आवासन और रहन सहन की दशाओं के अनवरत सुधार सहित उपयुक्त जीवन स्तर का अधिकार; शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का उच्चतम प्राप्य स्तर का अधिकार; अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और सबके लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार; और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा साधारणतया सभी की पहुँच के अंदर हो तथा सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने और वैज्ञानिक प्रगति के लाभ लेने का अधिकार।

इस प्रकार दो कान्वेंट सबसे अधिक बुनियादी मानव अधिकार प्रदान करते हैं। इन दो संयुक्त राष्ट्र प्रलेखों के अलावा, मानव अधिकार मानदंडों के दो अन्य सेट हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवहारों के प्रतिकूल हैं। वे कामगारों की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संबंधी अधिकार हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation – ILO) ने लगभग 150 अभिसमय स्वीकृत किए हैं, उनमें अन्य बातों के साथ कार्य की दशाओं, पारिश्रमिक, बाल श्रम और बेगारी, छुट्टियों और सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान, रोज़गार और ट्रेड यूनियन अधिकारों में भेदभाव निवारण है। इस समय लगभग 200 बहुपक्षीय पर्यावरण संबंधी संधियाँ हैं जिनमें कुछ प्रकार के व्यापार उपाय दिए गए हैं।

25.3 विश्व व्यापार का विकास : विहंगावलोकन

आइए, हम समकालीन विश्व में विश्व व्यापार की असाधारण वृद्धि पर विचार करें। पिछले पाँच दशकों के दौरान विश्व-निर्यात दस गुणा बढ़ा है, यहाँ तक कि मुद्रा स्फीति के लिए समायोजन करने के बाद भी विश्व के सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) की अपेक्षा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। विदेशी निवेश अधिक तेजी से बढ़ा है, टी एन सी द्वारा की गई बिक्री से विश्व निर्यात बहुत बढ़ा है और टी एन सी के बीच लेन देन से विश्व व्यापार के भाग का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। विदेशी विनिमय प्रवाह प्रतिदिन 1.5 ट्रिलियन डालर से भी अधिक हुआ है जब कि यह 1973 में 15 बिलियन डालर था। डब्ल्यू टी ओ की 1996 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1995 में सौदों और सेवा व्यापार दोनों में बहुत वृद्धि थी, सामान और सेवाओं में कुल सीमा पार व्यापार पहली बार 6,000 बिलियन डालर से अधिक हुआ। कोफी अन्नान, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अपने मिलेनियम भाषण में बताया कि ई-कामर्स के लिए बाजार 1996 में 2.6 बिलियन डालर था; 2002 तक 300 बिलियन डालर तक बढ़ने की आशा है। एक अन्य अध्ययन ने आकलन किया है कि 2000 तक विश्व व्यापार की वार्षिक वृद्धि 8 ट्रिलियन डालर पार कर जाएगी।

25.4 विश्व व्यापार संगठन की भूमिका

विश्व व्यापार संगठन की स्थापना पहली जनवरी, 1995 को टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार (गैट) के स्थान पर हुई। विश्व व्यापार संगठन बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के कई दौरों का परिणाम है।

मार्राकेश करार गैट के संरक्षण में व्यापार वार्ताओं का यूरुग्वे दौर की चरम स्थिति था। वार्ता का अंतिम दौर 15 दिसम्बर 1993 को समाप्त हुआ और भाग लेने वाली सरकारों ने अंतिम अधिनियम लगभग 22,000 पृष्ठों का था, इस पर 15 अप्रेल 1994 को मार्राकेश, मोरोको, में हुई बैठक में किए गए। "मार्राकेश घोषणा" ने स्वीकार किया कि नए व्यापार कानून "विश्व अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और इसके फलस्वरूप विश्व भर में अधिक व्यापार, निवेश, रोज़गार और आय में वृद्धि होगी।" मार्राकेश करार विश्व के इतिहास में सबसे अधिक व्यापक व्यापार सौदा था, इसमें सभी वस्तुएँ पेपर क्लिप से जेट विमान तक शामिल है। अधिकांश भाग प्रलेख का अधिकांश भाग उसकी विशालता का प्रतीक था।

डब्ल्यू टी ओ के पास वाणिज्यिक गतिविधियों और व्यापार नीतियों के संबंध में काफी बड़ा कार्यक्षेत्र है। यह इसी के लिए कार्य करता है। गैट केवल वाणिज्यिक सामान का व्यापार करने के लिए लागू होता है। यह वस्तुओं, सेवाओं और "विचारों में व्यापार" या "बौद्धिक सम्पदा" (नवीकरण, अन्वेषण आदि) में व्यापार करने पर भी लागू होता है। डब्ल्यू टी ओ के कार्यों में शामिल हैं: (i) बहुपक्षीय व्यापार करार का मॉनीटर करना और क्रियान्वयन करना जो साथ मिलकर डब्ल्यू टी ओ होते हैं; (ii) बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के लिए मंच के रूप में कार्य करना; (iii) व्यापार करने वाले भागीदारों के बीच उत्पन्न व्यापार संबंधी विवादों को हल करने का प्रयास करना। (इसकी मध्यस्थता पैनल के निष्कर्ष बाध्यकारी हैं); (iv) राष्ट्रीय व्यापार नीतियों का निरीक्षण करना; और (v) विश्वव्यापी आर्थिक नीति बनाने में अंतर्निहित अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग करना।

विश्व व्यापार संगठन करारों में प्रस्तुत महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली को शासित करने वाले सिद्धान्त ध्यान देने योग्य हैं। यहाँ चार सिद्धान्त हैं: (i) व्यापार सदस्यों में और आयातित तथा घरेलू उत्पादित वाणिज्यिक सामान के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। (ii) डब्ल्यू टी ओ करारों में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि निवेश तथा व्यापार की दशाएँ ऐसी हों, जिनसे पूर्वानुमान किया जा सके, इसके लिए सदस्य सरकारों के लिए अपनी इच्छानुसार नियम बदलना कठिन बनाया जाना चाहिए। अनुमेय व्यापार दशाओं की कुंजी है, घरेलू कानूनों, विनियमों और पद्धतियों में पारदर्शिता। डब्ल्यू टी ओ करारों में पारदर्शिता प्रावधान हैं। डब्ल्यू टी ओ को औपचारिक अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर या बहुपक्षीय स्तर पर इन नियमों को प्रकट करना आवश्यक होता है। (iii) डब्ल्यू टी ओ करार विकास और आर्थिक सुधारों को प्रोत्साहन देता है। बहुत से अविकसित देश पिछले एक दशक के दौरान आर्थिक सुधारों की नीतियों या उदारीकरण की नीतियाँ अपना रहे हैं।

25.5 मानव अधिकारों के लिए पराराष्ट्रीय निगमों का उत्तरदायित्व

काफी पहले यह माना गया है कि जो टी एन सी राष्ट्रीय सीमाओं के पार कार्य संचालन करते हैं, उनका आधुनिक विश्व पर बहुत प्रभाव होता है। यदि हम राज्यों के राजस्व से सबसे बड़े प्राचीन बहु-राष्ट्रीय निगमों के राजस्व की तुलना करें तो हम देखते हैं कि केवल छः राज्यों - संयुक्त राज्य अमेरिका (1,248 बिलियन डालर), जर्मनी (690 बिलियन डालर), यू.के. (389 बिलियन डालर), इटली (339 बिलियन डालर) और फ्रांस (221 बिलियन डालर) का राजस्व सबसे बड़े नौ बहु-राष्ट्रीय निगमों मित्सुविशि (184 बिलियन डालर), मित्सुई (182 बिलियन डालर), सुमिटोमा (168 बिलियन डालर), मेराबेनि (161 बिलियन डालर), फोर्ड मोटर (137 बिलियन डालर), टोयोटा मोटर (111 बिलियन डालर) और एक्सोन (110 बिलियन डालर) के राजस्व से अधिक है। उनकी विशाल आर्थिक शक्ति के कारण, टी एन सी बहुधा राष्ट्रीय सरकारों के प्रभावी नियंत्रण से परे होते हैं, इन में वे भी

शामिल हैं जो अपने ही अधिकार क्षेत्र के अंदर हैं। इसके अलावा, सामान्यतया टी एन सी का राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणालियों पर, विशेषकर व्यापार समर्थक राजनीतिक दलों और व्यक्तियों के माध्यम से पर्याप्त प्रभाव होता है। इससे व्यापार का विनियमन कठिन हो जाता है।

आज 38,500 से अधिक परराष्ट्रीय मूल कम्पनियाँ हैं जिनके अपने स्वयं के 250,000 से अधिक विदेशों में सम्बद्ध कम्पनियाँ हैं। इन टी एन सी और उनकी विदेशी सम्बद्ध कम्पनियों ने 1998 में विश्वव्यापी उत्पादन का 25 प्रतिशत का उत्पादन किया और शीर्ष के 100 (विदेशी परिसम्पतियों द्वारा वर्गीकृत) कम्पनियों की कुल बिक्री 4 ट्रिलियन डालर थी। 1980 और 1992 के बीच टीएनसी की वार्षिक बिक्री दुगुनी (2.4 से 5.5 ट्रिलियन डालर) हुई और बहुता की वार्षिक बिक्री अब कुछ राज्यों की जी डी पी से भी अधिक है। उदाहरण के लिए, 1997 में जनरल मोटर की विश्वव्यापी बिक्री (168 बिलियन डालर), इंडोनेशिया और पाकिस्तान दोनों की संयुक्त जी डी पी से अधिक थी। (इंडोनेशिया 115 बिलियन डालर और पाकिस्तान 45 बिलियन डालर) इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित दो व्यापारिक निगमों - जनरल मोटर्स (168 बिलियन डालर) और फोर्ड मोटर्स (147 बिलियन डालर) का संयुक्त राजस्व लगभग भारत की जी डी पी (324 बिलियन डालर) के बराबर है।

टी एन सी का मुख्य उद्देश्य और प्रयास लाभ पैदा करना है। लाभ उत्पन्न करने के लिए टी एन सी बहुधा अपनी पूंजी और उत्पादन इकाइयाँ उन स्थानों में रखती हैं जहाँ उन्हें सस्ते श्रमिक उपलब्ध होते हैं। विकासशील और विकसित दोनों देशों में टी एन सी निवेश आकर्षित करने के लिए विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा चल रही है। टी एन सी निवेश आकर्षित करने की आशा में राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध पर्यावरणीय, श्रमिक और मानव अधिकारों के विनियमन के न्यूनतम स्तर देने के लिए बोली लगाते हैं। यह प्रतिस्पर्धा प्रत्यक्षतः थोड़ी सी सामाजिक लाभ, कामगारों को अपेक्षाकृत कम वेतन और बहुत से सामाजिक, राजनीतिक और ट्रेड यूनियन अधिकारों के उल्लंघन में योगदान कर रही हैं। अच्छा लाभ कमाने के लिए इन टी एन सी की बहुत सी दिल दहलाने वाली बहुत कहानियाँ सुन सकते हैं, अतः यह लाभ उन्होंने स्पष्टतः कर्मचारियों का स्पष्ट शोषण की कीमत पर अर्जित किया है। विभिन्न टी एन सी ने यूनाइटेड फ्रूट से कोका कोला तक, प्रगतिशील सरकारों और श्रमिकों के अधिकारों तथा अन्य मानव अधिकारों के लिए बनाए गए कानूनों का खुला उल्लंघन किया है। वास्तव में, ग्वाटेमाला (1954) में यूनाइटेड फ्रूट और चिली में आई टी टी ने राजनीतिज्ञों (ग्वाटेमाला में एर्वेन्ज और चिली में एलेण्डे) को पदच्युत करने में संयुक्त राज्य सरकार की सक्रिय रूप से सहायता की। जबकि ये दोनों राजनीतिज्ञ विशेष रूप से आपने राष्ट्रिकों के लिए श्रम अधिकारों के समर्थक थे।

यहाँ और अगले दो अनुभागों में ऐसे उदाहरणों के चयन पर विचार किया गया है जिनमें सामयिक व्यापारिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप मानव अधिकारों का उंल्लघन हुआ है। टी एन सी और राष्ट्रीय सरकारों के श्रेष्ठ वर्ग ने व्यक्तियों और समूहों द्वारा अपने आर्थिक, सामाजिक, और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के बचाव में व्यक्त किए गए किसी भी वैकल्पिक विश्व दृष्टिकोण का विरोध किया है, जब विकल्पों को व्यक्त किया जाता है तो वे नेमी तौर पर मानव अधिकारों के हनन में लग जाते हैं। इक्वेडोर के पूर्व राष्ट्रपति अब्दाला बेकारम का कथन एक वाद का विषय हैः उसने जोर देकर कहा था कि "यदि तेल कामगार बुनियादी और रणनीतिक सेवाओं, जैसे तेल का उत्पादन रोकने का प्रयास करते हैं। मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से पुलिस और सशस्त्र बलों द्वारा पीट पीट कर उन्हें काम पर वापस आते देखूँगा।" यद्यपि उसका कथन संभवतः बहुत स्पष्टवादी है, अधिकांश निगमों और सरकारों का भी ऐसा ही रवैया होता है। निम्नलिखित कुछ खास उदाहरण इसे प्रमाणित करते हैं।

मैक्सिको का मैक्विलेडोरा क्षेत्र एक अन्य उदाहरण है। मैक्विलेडोरा निर्यात आय में 29 बिलियन डालर का उत्पादन करता है और समाज के सबसे अधिक गरीब, कम से कम अनुभवी और अल्पतम शिक्षित लगभग 500,000 लोगों को रोजगार देता है। क्षेत्र के बहुत से भागों में खास तौर पर स्वतंत्र ट्रेड यूनियन बनाने के लिए कामगारों के प्रयासों के संबंध में मानव अधिकार उल्लंघन की रिपोर्ट की जाती है। जहाँ संभव है, मैक्विलाडोरा में कार्य करने वाले निगम महिलाओं को काम पर रखना पसन्द करते हैं क्योंकि वे काम के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होती हैं और उन्हें पुरुषों की तुलना में अपने अधिकारों के बारे में कम जानकारी होती है, कम सुविधाजनक कार्य दशाओं के प्रति सहनशील होती हैं और राजनीति या ट्रेड यूनियन में सक्रिय होने की संभावना कम ही होती हैं।

इसके अलावा, महिला कर्मचारियों ने गर्भावस्था के दौरान भेदभाव का भी सामना किया है। नौकरी के आवेदकों को काम पर रखने से पहले नेमी तौर पर सगर्भता परीक्षण किया जाता है। कुछ मामलों में कर्मचारियों को उनके सेक्स गतिविधियों के बारे में पूछा जाता है, उनकी पिछली माहवारी कब हुई थी और क्या वे गर्भ निरोधक उपाय प्रयोग करते हैं। यदि महिला गर्भवती हो जाती है तो प्रबंधक ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर देते हैं कि उन्हें त्यागपत्र देने के लिए विवश होना पड़ता है। प्रबंधक कई तरीके अपनाते हैं जिनका अभिप्राय कार्य गुणवता में प्रत्येक त्रुटि निकालने सहित प्रताड़ित करना होता है। भले ही यह किंचित मात्र भी महत्वपूर्ण न हो। उन्हें खराब मशीने देते हैं ताकि उनके घटिया काम के कारण बोनस की माँग न करें, उन्हें डाक्टर के पास जाने के लिए अल्पकालिक अवकाश नहीं दिया जाता है और उन्हें ऐसे अधिक काम पर लगाया जाता है जिसके लिए अधिक शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है और जो साधारणतया गर्भवती महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं होता है। चूँकि वे खतरे के प्रति वेपरवाह हो जाती हैं इसलिए भेदभावपूर्ण व्यवहार सहती हैं।

यद्यपि मैक्सिको के श्रम कानूनों में ऐसे भेदभाव पर प्रतिबंध है परन्तु सरकार प्रायः ऐसे व्यवहारों को अनदेखी कर लेती हैं। यह खेदजनक है कि न तो निगम और न ही सरकार सगर्भता आधारित भेदभाव पर अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से मान्य निषेध आज्ञा का पालन करने के लिए इच्छुक प्रतीत होती हैं। आई सी सी पी आर के अनुच्छेद 26 के अधीन सेक्स का भेदभाव किए बिना कानून के सामने सभी लोग एक समान व्यवहार पाने के हकदार हैं। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन संबंधी अभिसमय (All Forms of Discrimination against Women – CEDAW) के अनुच्छेद 2 महिलाओं के प्रति विशेषकर रोजगार के क्षेत्र (अनुच्छेद 11:1) में सभी प्रकार के भेदभाव की निन्दा करता है। गर्भावस्था के कारण किए जाने वाले भेदभाव पूर्ण व्यवहार भी या गोपनीयता अधिकार (आई सी सी पी आर अनुच्छेद 17), (यू डी एच आर अनुच्छेद 12) और बच्चों की संख्या और अंतर रखने का निर्णय करने के अधिकार CEDAW अनुच्छेद 16:1 का भी उल्लंघन है। यह स्मरण रखा जाए कि मैक्सिको ने आई सी सी पी आर और सी ई डी ए डब्ल्यू की अभिपुष्टि मार्च 1981 में की है।

इससे भी अधिक है ट्रेड यूनियन अधिकारों का दमन किया जाता है, जब मैक्विलाडोरा के कामगारों ने सरकार समर्थित मैक्सिकन कामगार महासंघ (Confederation of Mexican Workers – CMW) से पृथक स्वतंत्र ट्रेड यूनियन बनाने के लिए संघर्ष किया। उदाहरण के लिए, 1989 में हैर्मोविल में फोर्ड प्लाण्ट में कामगारों ने सी एम डब्ल्यू के लोकतांत्रिक चुनावों के लिए अपनी माँग के समर्थन में भूख हड़ताल आयोजित की। इसकी प्रतिक्रिया में फोर्ड ने कामगारों को बर्खास्त करना शुरु किया और उन कामगारों को कालसूची में डाल दिया। जो इस कार्य में शामिल थे परन्तु विरोध जारी रहा। फोर्ड आयोजकों द्वारा अपनी कार्रवाई समाप्त करने से पहले ही फोर्ड ने 3,800 कामगारों में से 3,050 को बर्खास्त कर दिया।

आइए, अब हम नाइजीरिया में ओगोनी क्षेत्र में रॉयल डच शैल आयल के कार्यों का एक अन्य उदाहरण देखें। मानव अधिकारी निगरानी - एक ग़ैर सरकारी संस्था (Human Right Watch – a 2NGO) ने 1955 में रिपोर्ट दी कि अक्टूबर 1950 के अंत में शैल ने आयल आपरेशनों के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में जनजाति के लोगों की भूमि को लगातार नष्ट किए जाने के विरोध में शान्तिपूर्ण आंदोलन में पुलिस की सहायता माँगी। मार-पिआई, आँसू गैस हमले और अंधाधुंध गोली चलाने से 80 लोग मारे गए। एक अन्य अवसर पर शैल का एक ठेकेदार विलब्रास ने निर्माण कार्य की तैयारी के लिए बुलडोजर से फसल नष्ट कर दी। जब स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो विलब्रास ने सरकारी सैनिक बुला लिए और उन्होंने आन्दोलनकारियों को तितर बितर करने के लिए गोलियाँ चलाई। विलब्रास ने इस आधार निर्माण कार्य आगे बढ़ाने के लिए अपने अधिकार का बचाव किया कि सभी आवश्यक औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया था, यद्यपि ओगोनी लोगों की सुरक्षा के लिए सामान्य आन्दोलन के प्रतिनिधियों को उस चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था जिसमें ठेका स्वीकार किया गया था।

यद्यपि शैल ने दावा किया कि नाइजीरियाई सुरक्षा बल से उनका सम्पर्क कम से कम था, एक सरकारी अधिकारी ने मानव अधिकार निगरानी के समक्ष स्वीकार किया कि लेफ्टि. कर्नल पॉल ओकून्टिमो, नदी राज्य सुरक्षा के निदेशक से नियंत्रित संपर्क किया जाता था। कम्पनी के एक अधिकारी के अनुसार ओकून्टिमो, "एक क्रूर सिपाही" था, वह अपनी बर्बरता के लिए कुख्यात था, उसने तेल कम्पनियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए अपनी भूमिका देखी।

यह ध्यान रखना शिक्षाप्रद है कि मानव अधिकारों के उल्लंघन की इन घटनाओं के फलस्वरूप 1997 में शेयरधारकों की एक हंगामी बैठक हुई जिसमें अधिक खुलापन और सामाजिक उत्तरदायित्वों के लिए आह्वान किया गया। हाल ही में शैल ने सामाजिक उत्तरदायित्व का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रकाशित करने के लिए अपने इरादे की घोषणा की। अब यह देखना शेष रह गया है कि मानव अधिकारों को गंभीरता से लेने का दृष्टिकोण लाभप्रद सिद्ध होता है कि नहीं।

एक अन्य उदाहरण खेल सामग्री उद्योग के सम्बंध में है। भारतीय कम्पनियाँ बहुत सी खेल सामग्री, जैसे बेसबाल, फुटबाल, क्रिकेट के साज सामान, वालीबाल और बाक्सिंग दस्ताने बनाती हैं। यद्यपि इसके बारे में कोई सरकारी आँकड़े विद्यमान नहीं हैं, एक ग़ैर सरकारी संस्था (क्रिश्चियन एड) का प्राकलन है कि इस उद्योग में लगे हुए 300,000 कामगारों में से लगभग 25,000 से 30,000 तक बच्चे हैं, वे या तो अपने परिवार के साथ काम कर रहे हैं या छोटे-छोटे सिलाई केन्द्रों में काम कर रहे हैं। कुछ 10 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे प्रतिदिन पाँच से छः घंटे काम करते हैं और उन्हें प्रति फुटबाल के लिए 10 रुपये या इससे भी कम दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उद्योग के मुख्य निर्यातकों को चमड़ा सप्लाई करने वाले चर्म उद्योग (टेनरियाँ) बच्चों को काम पर लगाते हैं और वहाँ उन्हें हानिकारक रसायनों से काम करना पड़ता है। फैक्टरियाँ या छोटे वर्कशापों में काम करने वाले बच्चे और किशोरावस्था के प्रशिक्षुकों को नेमी तौर पर वयस्कों की न्यूनतम मजदूरी का अंशमात्र दिया जाता है। कम वेतन के अलावा, कुछ वयस्क कामगारों को यूनियन के अधिकारों, रुग्णता वेतन, भविष्य निधि और बीमा योजनाओं की सुलभता से वंचित किया जाता है। कामगारों को लगातार नौकरी पर न बनाए रखना आम बात है ताकि उन्हें इन अधिकारों से वंचित रखा जा सके। खतरनाक उद्योगों में बच्चों को नियुक्त करने पर संवैधानिक और कानूनी प्रतिबंध के बावजूद चमड़ा शोधन (टैनिंग) कालीन बुनाई, चूड़ियाँ विनिर्माण इकाइयों, माचिस और पटाखों के कारखानों में आज के दिन तक भी बाल मज़दूर लगाए जा रहे हैं।

टी एन सी पर्यावरण सम्बंधी कार्यों द्वारा लोगों की आजीविका नष्ट करके बहुत हानि भी कर सकते हैं जो वनों का अंधाधुंध कटान, मछली जनन क्षेत्र की कमी, खतरानाक सामग्री का ढेर लगाने और नदियों तथा झीलों को प्रदूषित करने से होता है ये कभी जल और मछली के स्रोत थे। व्यापार के लिए झींगा मछली के पालन से नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर हानिकारक प्रभावों के परिणाम पता चलता है। बहुत से अविकसित देशों ने सामाजिक और पर्यावरण सम्बंधी परिणामों पर विचार के बिना व्यापारिक मात्रा में झींगा मछली पालन को प्रोत्साहित किया है। विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ऋणग्रस्त तृतीय विश्व के देशों का निर्यात बढ़ाकर भुगतान संतुलन सुधारने के लिए ऐसे कार्यों की सहायता की है। व्यापारिक झींगा मछली पालन से यह लाभ हुआ है कि इसमें कम निवेश और प्रौद्योगिकी पर भी अधिक लाभ होता है। यह खासतौर पर उन निजी निवेशकों के लिए आकर्षक है जो कम से कम समय में अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना चाहते हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों में झींगा मछली बहुत माँग है। इसके अलावा, झींगा मछली पालन अविकसित एशियाई और लेटिन अमेरिकी राज्यों के लिए विदेशी मुद्रा का महत्वपूर्ण स्रोत है।

झींगा मछली पालन विधि में आधा हैक्टर से पाँच हैक्टर आकार का खारे पानी का एक तालाब बनाना पड़ता है। झींगा पालन के लिए अनकूलतम वातावरण बनाए रखने के कई तरीके हैं: खारापन, बढोतरी के लिए उर्वरक, रोग नियंत्रण के लिए एन्टिबायोटिक्स और पैरासाइट रोकने के लिए अन्य रसायन। तालाबों में मछली के शिशुओं के डालने से पैदावार पाने का समय लगभग चार महीने होता है, इस प्रकार कम्पनियों को वर्ष में तीन पैदावार मिलती है। वास्तव में एक पैदावार से ही निवेश लागत पूरी हो जाती है।

बहुत सी सरकारें अपने आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए ऐसे प्रयासों को सहायक मानती हैं। इसलिए वे बहुधा झींगा मछली उत्पादकों को सरकारी भूमि देते हैं। इस प्रयोग से कई मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। झींगा मछली पालन के स्थान पर स्थानीय समुदायों के लिए मूल्यवान संसाधनों के स्रोत होते हैं, वहाँ से उन्हें अपने भरण-पोषण के लिए चारागाह ईधन लकड़ी और अन्य आवश्यकताएँ पूरी होती हैं। कुछ मामलों में झींगा मछली पालन ने उस भूमि को ले लिया है जिसे पहले खाद्यान्न पैदा किया जाता था ओर स्थानीय तौर पर बेचा जाता था। इसके अलावा, इससे स्थानीय मछुआरे भी प्रभावित होते हैं। तालाबों का निर्माण पानी के प्राकृतिक प्रभाव को रोक सकता है और गाँव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, मृदा अपरदन और मृदा का खारापन हो सकता है, उत्पादन बहुधा अपशिष्ट पानी को पम्प करते हैं जिनमें समीपवर्ती भूमि में कॉकटेल संयोजक (झींगा उत्पादन के लिए प्रयुक्त) होता है इससे मृदा प्रदूषित होती है। यद्यपि इनमें से अधिकांश कार्य गैर-कानूनी है परन्तु सरकार झींगा पालन को प्रोत्साहन देने के लिए उनके उत्साह में कानूनों के उल्लंघन को नजरअंदाज कर देती हैं। परिणाम यह होता है कि लोगों की उस भूमि को छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं जो उन्हें जीवन यापन का साधन देती है और इनका परम्परागत जीवन शैली विघटित हो जाती है, उनके आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन मानव अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अधीन सुरक्षित किए गए हैं।

25.6 मूलवासी लोगों के अधिकार

बहुत वर्षों की अवहेलना के बाद हाल ही के वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय देशी लोगों के अधिकारों के उल्लंघन पर चिन्तित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 1994 में इस विषय पर एक घोषणा का मसौदा तैयार किया है। 1994-2003 के दशक को देशी लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया गया है।

यह उनके अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation – ILO) अभिसमय 1989 भी है।

तेल, यूरेनियम, खनिज और लकड़ी विश्वभर में देशी भूमि पर पाई जाती हैं और टी एन सी को आर्थिक विकास के नाम पर उनका अतिक्रम करने की अनुमति दी गई है। विश्व के बहुत से भागों में देशी भूमि का अतिक्रमण परमपरागत औषधियों के व्यवसाय के लिए हुआ है जिन्हें तब अन्तर्राष्ट्रीय औषधकीय बाजार में लाया जाता है।

देशी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन से संबंधित बहुत मामले हैं। यहाँ हम केवल मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। अतिक्रमण परम्परागत औषधियों के व्यवसाय के लिए हुआ है। (पूर्ववर्ती अनुभाग में हम नाइजीरिया के ओगोनी क्षेत्र में शैल आयल के उदाहरण की चर्चा पहल ही कर चुके हैं।) पहला, 1985 में ब्राजील के विरुद्ध ब्राजील के यानोमामी इंडियनों द्वारा इंटर-अमेरिकन कमीशन आन ह्यूमन राइट्स को शिकायत की गई, इसमें कहा गया था कि उन स्वतंत्र पूर्वेक्षकों (prospectors) और कम्पनियों के कार्याकलापों के कारण उनके बहुत से अधिकारों का हनन किया गया है जो उनके द्वारा बसाए गए अमेजन क्षेत्रों के काष्ठ संसाधनों और खनिज को दोहन करने में लगे हुए हैं। यह आरोप लगाया था कि तथाकथित आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप उनके स्वास्थ्य का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, जीवन का अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन हुआ है। इण्टर अमेरिकन कमीशन ने पाया कि अतिक्रमण जिसमें यानोमामी भूमि से होकर जाने वाली राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण शामिल है, इससे यानोमामी समुदाय के लोगों के सामाजिक जीवन बाधित हुआ है और कई रोग हुए हैं जिससे आबादी के बहुत भाग समाप्त हुआ है। आयोग ने यह भी पाया कि इन कार्यों के करने की लाइसेन्स और स्वीकृति देने में मनुष्य के अधिकारी से संबंधित अमेरिकी घोषणा में दिए गए जीवन के अधिकार और स्वास्थ्य सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया है।

दूसरा उदाहरण महाराष्ट्र राज्य में दाहानु में पी एण्ड ओ, विकासकर्त्ता द्वारा नए बंदरगाह के प्रस्तावित निर्माण के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ। इस विवाद के फलस्वरूप यह स्पष्टतः सभी व्यापारिक मुद्दों का केन्द्र बन गया। दाहानु भारत के कुछ ही बचे जनजाति का समुदाय वार्लियों का निवास स्थान है। प्रस्तावित बन्दरगाह का आकार लिवरपूल के आकार से आठ गुण बताया गया है और यह उस क्षेत्र में न केवल आवश्यक नौकरियाँ उपलब्ध करेगा और वहाँ की अर्थव्यवस्था पुनरुजीवित करेगा अपितु बम्बई बंदरगाह की भीड़भाड़ भी कम करेगा।

तथापि जैसा कि पी एण्ड डी द्वारा तैयार की गई अप्रकाशित रिपोर्ट ने अपने निष्कर्ष में उल्लेख किया है, "बंदरगाह वार्लियो की जीवन पद्धति को नष्ट कर देगा। इसके अलावा 70 प्रतिशत से अधिक वार्लियों ने बंदरगाह का विरोध किया है केवल 11 प्रतिशत ने इसका समर्थन किया है। महाराष्ट्र सरकार के इस दावे के विपरीत कि बंदरगाह स्थायी आर्थिक लाभ लाएगी, रिपोर्ट ने अपने निष्कर्ष में उल्लेख किया है कि इसके बहुत कम प्रमाण है। वास्तव में, प्राकृतिक संसाधनों के पोषणीय उपयोग ने उन्नतिशील अर्थव्यवस्था सृजन की जो आत्मनिर्भर है और क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा के मूल है। यदि पी एंड ओ को उसमें निर्माण कार्य करने की अनुमति दी जाती है तो स्थानीय अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी और मानव अधिकारों पर इसका व्यापक प्रभाव होगा।

25.7 बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का व्यापारिक पहलू

बौद्धिक सम्पदा के व्यापारिक पहलुओं पर करार (ट्रिप्स) (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) यूरुग्वे दौर के करार के स्तम्भों में से एक है और सबसे अधिक विवादास्पद

करारों में से भी एक है। यह सृजनकर्त्ता के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को अधिक सख्त बनाता है। यह व्यापार से बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से जोड़कर और डब्ल्यू टी ओ प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें बंधनकारी और प्रवर्तनीय बनाकर लागू करने योग्य विश्वव्यापी मानक प्रस्तुत करता है।

ट्रिप्स करार पर्याप्त रूप में स्वास्थ्य के अधिकारों और अन्य के बीच देशी लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहा है। इसके प्रावधान बहुत सी उन सार्वजनिक नीतियों को रोकता है जो स्वास्थ्य देखभाल के लिए अधिक उपलब्धता को प्रोत्साहित करती है। बहुत से विकासशील देशों के राष्ट्रीय कानूनों ने जानबूझकर उत्पाद पेटेण्ट संरक्षण से (केवल संसाधन पेटेण्टों को अनुमति देकर) फार्मकॉलजिकल्स औषधियों निकाल दिया है, ताकि जेनेरिक औषधियों के लिए स्थानीय विर्निर्माण क्षमता को बढ़ावा मिल सकें और दवाइयाँ कम कीमत पर उपलब्ध हो सके। ट्रिप्स करार से अधीन लागू किया गया। प्रोसेस से उत्पाद पेटेण्टों के प्रयोग ने अधिक सस्ती महत्वपूर्ण जीवन रक्षक औषधि उत्पादन में स्थानीय कम्पनियों की संभावनाओं को कम किया है, जैसे केन्सर और एच आई वी/ एड्स की औषधियाँ। भारत में एड्स रोधी औषधियाँ फ्लूकेनेजाल का स्थानीय उत्पादन ने कीमतों को उपयुक्त स्तर पर रखा (100 टेबलेटों की कीमत 55 डालर) जब कि अन्य विकसित में और विकसित देशों में वही 700 डालर से 1000 डालर के बीच है।

देशी लोगों का परम्परागत ज्ञान और साधनों के अधिकार ट्रिप्स करार में बहुत प्रभावित हुए है। परम्परागत रूप से जीव रूपों, पौधों और जंतुओं का पेटेण्टों से छूट दी गई थी। परन्तु अब इसे परिवर्तन किया जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन करार की यह अपेक्षिता है कि सभी सदस्य देश माइक्रोबायोलॉजिकल और माइक्रोआर्गनिज्म तथा नॉन बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं पर पेटेण्टों की अनुमति दे। इसलिए वैज्ञानिक उस परम्परागत ज्ञान का प्रयोग कर पुनः अनुसंधान करने और उत्पादों का पेटेण्ट कराने के साथ "बायो प्रोस्पेक्टिंग" अनियंत्रित ढंग से बड़ा है। हल्दी की रोगहर विशेषताओं के लिए, नीम और अन्य पादपों की कीटनाशी विशेषताओं के लिए पेटेण्ट दिए गए हैं - ये सभी परम्परागत ज्ञान के भाग है। ऐसे बहुत से मामलों में पेटेण्टों को चुनौती दी गई और उन्हें उलट दिया गया।

ट्रिप्स करार से अधिकांशतः प्रौद्योगिक रूप से उन्नत देश ही लाभान्वित हुए हैं। यह अनुमान लंगाया गया है कि औद्योगिक राज्यों के पास कुल पेटेण्टों का 97 प्रतिशत पेटेण्ट है और कुल प्रौद्योगिकी और उत्पाद पेटेण्टों का 90 प्रतिशत टी एन सी है। ट्रिप्स करार से विकासशील देशों को सुदृढ़ता पेटेण्ट संरक्षण से थोड़ा ही प्राप्त करना है क्योंकि उनके अनुसंधान कार्य और विकास समता कम है।

ट्रिप्स करार मानवीय अधिकारों और पर्यावरणीय करारों के समरूप प्रतीत नहीं होता है। अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय विधेयक वैज्ञानिक प्रगति में सहभाजन करने के लिए मानव-अधिकार को स्वीकारता है। यह स्मरण करें कि भारत ने शून्य का अविष्कार किया परन्तु हमने उसके प्रयोग का पेटेण्ट नहीं किया बल्कि सम्पूर्ण विश्व इससे लाभान्वित हुआ है। जैव विविधता पर अभिसमय के अनुसार राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जैविक संसाधनों और ज्ञान प्रणाली के उनके प्रयोगों में समुदायों, किसानों और देशी लोगों के अधिकारों की रक्षा और सवर्धन करे। यह भी अपेक्षा है कि समुदायों के जैविक संसाधनों और स्थानीय ज्ञान के वाणिज्यिक प्रयोग से होने वाले लाभ का सहभाजन समान रूप से हो।

ट्रिप्स करार में मानव अधिकार सुरक्षणों का निर्माण करना आवश्यक है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के अफ्रीकी समूह ने करार का विशेषकर देशी ज्ञान की रक्षा करने के प्रावधान की समीक्षा करने का प्रस्ताव किया है। और भारत ने पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण प्रोत्साहित करने के लिए संशोधन का सुझाव दिया है।

25.8 गरीब देशों की उपेक्षा

यह सत्य है कि भूमंडलीय आर्थिक एकीकरण विश्वभर में लोगों के लिए अवसर पैदा कर रहा है परन्तु इससे सबसे अधिक गरीब देशों और सबसे अधिक धनी देशों के बीच अंतर भी बढ़ रहा है। बहुत से सबसे अधिक गरीब देशों को फैलते हुए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार निवेश के बढ़ते हुए अवसरों से तथा नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से वंचित किया गया है।

यू एन डी पी का मानव विकास रिपोर्ट 2000 जो मानव अधिकारों पर फोकस करती है, विरामक साक्ष्य मुहैया करता है कि मुक्त व्यापार का अनुसरण और मानव अधिकारों का प्रणालीबद्ध उल्लंघन साथ-साथ कैसे होता है, इसके अलावा विश्व अर्थव्यवस्था की उदारता से गरीबों देशों को दर किनार कैसे किया जाता है। आइए, हम रिपोर्ट में दिए गए आँकड़ों पर विचार करें। सामान और सेवाओं का विश्व निर्यात 1990 और 1998 के बीच तेजी से बढ़कर 4.7 ट्रिलियन डालर से 7.5 ट्रिलियन डालर था। और 25 देशों (बांग्लादेश, मैक्सिको, मोजम्बिक, टर्की और वियतनाम सहित) के निर्यात में वृद्धि एक वर्ष में औसतन 10 प्रतिशत से अधिक थी। परन्तु, कैमरून, जमैका और यूक्रेन में निर्यात घटा है। 1998 में कम विकसित देशों का जो विश्व जनसंख्या के 10 प्रतिशत है, विश्व निर्यात को केवल 0.4 प्रतिशत रहा जबकि 1980 में 0.6 प्रतिशत और 1990 में 0.5 प्रतिशत था। उप-सहारा अफ्रीका का भाग भी घटकर 1.4 प्रतिशत रहा, जबकि 1980 में 2.3 प्रतिशत और 1990 में 1.6 प्रतिशत था। यद्यपि औसत टैरिफ विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में अधिक है। फिर भी बहुत से गरीब अभी भी ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कृषि, जूतों और चमड़े के सामान में टैरिफ वृद्धि और टैरिफ सीमा का सामना कर रहे हैं।

गरीबों की उपेक्षा को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (Foreign direct investment – FDI) संबंधी आँकड़ों से भी देखा जा सकता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में अचानक वृद्धि हुई है, यह 1998 में 600 बिलियन डालर से भी अधिक हुआ है। परन्तु ये प्रवाह बहुत अधिक संकेन्द्रित रहे हैं, विकसित और पराराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं, मुख्यतया चीन, ब्राजी, मैक्सिको और सिंगापुर में जाने वाले 177 बिलियन डालर का 83 प्रतिशत प्राप्त करने वाले एक केवल 20 देश हैं। 48 अल्पतम विकासशील देशों ने 1998 में 3 बिलियन डालर से कम को आकर्षित किया। यह कुल का मात्र 0.4 प्रतिशत है।

वास्तव में, प्रत्येक व्यक्ति भूमंडलीय अर्थव्यवस्था में पीड़ित नहीं है। 1998 में यू एन डी पी में कहा कि विश्व के 358 अरबपतियों की परिसम्पति उन देशों की कुल आय से अधिक थी जिनकी आबादी विश्व जनसंख्या का 25 प्रतिशत है। 1999 में हमने देखा है कि विश्व के शीर्ष 6 कम्पनियों की बिक्री 716 बिलियन डालर थी जो दक्षिण एशिया और उप-सहारा अफ्रीका के संयुक्त जी डी पी से अधिक है। 2000 वर्ष की यू एन डी पी की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि अति धनी व्यक्ति अधिक धनी बनते जा रहे हैं। शीर्ष 200 अरबपतियों की संयुक्त सम्पति 1999 में 1,135 बिलियन डालर की सीमा छू गई जो 1998 में 1,042 बिलियन डालर थी। यह अल्पतम विकसित देशों में 582 मिलियन लोगों के 146 बिलियन डालर की संयुक्त आय के मुकाबले हैं।

25.9 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विनियमित करनाः टी एन सीज़ के लिए आचार संहिता

पिछले पृष्ठों में हमने देखा है कि टी एन सी अपना व्यापार किस प्रकार संचालित कर रहे हैं और बहुधा लाभ कमाने के लिए अपने हितों का अनुसरण कर रहे हैं, वे प्रायः मानव अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि

से सम्मत मानदंडों की अनदेखी और उल्लंघन कर रहे हैं। जब तक टी एन सी कार्यों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत "आचार संहिता" तैयार नहीं की जाती है और संयुक्त राष्ट्र या कुछ बहुपक्षीय मंच के माध्यम से लागू नहीं किया जाता है, तब तक उन्हें सामाजिक दृष्टि से उत्तरदायी बनना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार की संहिता मानव अधिकारों के उत्तरदायित्व और टी एन सी के सामाजिक लेखा परीक्षा को प्रोत्साहित कर सकता है। जबकि उत्तर के औद्योगिक देश में जहाँ टी एन सी के अपने आधार है, नियम तथा विनियम तथा ऐसे पैरामीटर निर्धारित किए है जिनके अंदर टी एन सी और प्राइवेट उद्यमी कार्य कर सकें, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के नियमों और विनियमों का समर्थन कभी नहीं किया।

दक्षिण के विकासशील देशों से माँग, साम्यवादी देशों द्वारा समर्थन किए जाने के कारण से संयुक्त राष्ट्र ने टी एन सी की गतिविधियों का मॉनीटर करने और शक्ति के उनके दुरूपयोग को रोकने में अपनी भूमिका अदा करने का प्रयास किया। कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी टी एन सी के लिए बंधनकारी आचार संहिता तैयार करने का प्रयास किया परन्तु यह उन पूँजी निर्यात राज्यों को रुकावट की कार्रवाई के कारण सफल नहीं हो सकता जिनकी मुख्य दिलचस्पी लाभ कमाने के लिए "अपने" निगमों की स्वतंत्रता की रक्षा करने में थी। वार्ताओं और संहिता का मसौदा करने के दो दशकों से भी अधिक समय के बाद 1980 के दशक के अंत में प्रयास छोड़ दिया। टी एन सी से संबंधित संयुक्त राष्ट्र का विभाग भी जनवरी 1992 में यू.एस. के दबाव में समाप्त किया गया।

1996 में विश्व व्यापार संगठन ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रत्यायोजित एक घोषणा को स्वीकार किया जिसमें सदस्यों को श्रम कानूनों का सम्मान करने का वचन देना था। घोषणा अबंधनकारी और अस्पष्ट थी। परन्तु कुछ प्रेक्षकों को भय था कि जिस प्रकार विश्व व्यापार संगठन ने यू.एस. के कुछ निर्णयों को पर्यावरणीय विनियमों पर आधारित होने के कारण समाप्त कर दिया था, क्योंकि ये मुक्त व्यापार को रोकते हैं, उसी प्रकार विश्व व्यापार संगठन मानव अधिकारों के विनियमन का भी विरोधी हो सकता है।

यह षड़यंत्रकारी है क्योंकि टी एन सी के लिए आचार संहिता निर्धारित करने के बदले औद्योगिक देश, जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD) में प्रतिनिधित्व करते हैं, निवेश संबंधी बहुपक्षीय करार (Multilateral Agreement on Investment – MAI) के लिए मसौदा तैयार कर रहे हैं। फरवरी, 1997 में 147 पृष्ठों का संधि वार्ता का प्रलेख अनधिकृत तरीके से प्रगट हो गया और अब यह इंटरनेट के पब्लिक सिटिजन्स ट्रेड वॉच बेव पर उपलब्ध हैं। यद्यपि एम ए आई पर करार करने की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है फिर भी ओ ई सी डी का यह तर्क अभी भी है कि इसकी स्वीकृति का डिरेग्यूलेशन की भूमंडलीय कार्यक्रम पूरा करने में उल्लेखनीय योगदान होगा। वास्तव में एम ए आई का पहला मसौदा गोपनीयता में हुआ। आलोचकों के अनुसार यदि स्वीकार किया गया, तो एम ए आई "एकल भूमंडलीय अर्थव्यवस्था का संविधान" या "स्वतंत्र टी एन सी के लिए अधिकारों और स्वतंत्रता का बिल" बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम होता। यह संविधान आगे स्वतंत्र नीति बनाने के लिए राज्यों की शक्तियों को सीमित करता और लोगों को अपने प्राकृतिक संसाधनों का लाभों का उपयोग करने के अधिकारों को कम करता है। मानव अधिकार से संबधित निवेश शर्तें लगाने की प्रथा, जैसे स्थानीय श्रमिकों को काम पर लगाना, शिक्षा और प्रशिक्षण देना तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए योगदान करना एम ए आई के अधीन गैर-कानूनी हो जाते हैं। इसके अलावा एम ए आई मसौदे में "लाभ के प्रत्यार्पण" और पूँजी अंतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह "निष्पादन आवश्यकताओं" पर भी प्रतिबंध लगाता है और (विकासशील

देशों की) सरकारों को देशी निवेशकों और प्राधिकारियों से भिन्न तरीके में विदेशी निवेशकों से व्यवहार करने से रोकता है। टी एन सी राष्ट्रीय सरकारों पर एम ए आई की शर्तों को पूरा न करने के लिए मुक़दमा भी चला सकता है। संक्षेप में, आलोचकों का तर्क है कि मुक्त व्यापार प्रोत्साहित करने के प्रयास में एम ए आई का यह मुख्य कदम है जो कामगारों, समुदायों और पर्यावरण के अधिकारों का कोई ध्यान रखे बिना अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों और निगमों के हितों की पूर्ति करता है।

फिर भी, यह प्रसन्नता की बात है कि कई निगमों ने श्रमिकों और मानव अधिकारों के साथ व्यवहार करने के लिए निगम आचार संहिता अपनाई है। इस संबंध में कम्पनी दिशा निर्देशों के बहुधा उल्लिखित उदाहरण हैः लेवि स्ट्रॉस एण्ड कम्पनी देश चयन के लिए संलग्नता और मार्ग निर्देशन के व्यापारिक भागीदारी शर्तें, जिसमें कम्पनी के ठेकेदारों और पूर्तिकर्ताओं को निर्देशित किया गया है। उनमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, संघ, मज़दूरी और लाभ के अधिकार, कार्य समय, बाल मज़दूर, बेगारी और भेदभाव के बिना किराये पर लेने की पद्धतियाँ शामिल हैं। ओ ई सी डी ने अबंधनकारी संहिता भी अपनाई है, परन्तु इसका बहुत प्रभाव उत्पन्न हुआ है।

रीबॉक कार्पोरेशन, न्यूयार्क स्कर्ट इसी प्रकार के प्रयास कर रहा है और स्पोर्ट वियर एसोसिएशन, दी नेशनल एसोसिएशन आफ ब्लाउज मैन्यूफेक्चर्स इंक, दी इंडस्ट्रियल एसोशिएशन ऑफ जूवेनिल एप्येरल मैन्यूफेक्चर्स और टिम्बर लैण्ड कार्पोरेशन। यदि वे पर्याप्त रूप से व्यापक होते हैं तो इन प्रयासों का सामाजिक परिस्थितियों पर सकारात्मक प्रभाव होगा परन्तु उनमें प्रायः प्रभावी मॉनीटरिंग प्रणालियों का अभाव है और इन्हें व्यापक रूप से अपनाया और लागू किए जाने की आवश्यकता है।

इसलिए स्वैच्छिक कार्पोरेट आचार संहिता प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए परन्तु वे दो पहलुओं पर दुर्बल हो सकते हैं। पहला वे विरले ही अन्तर्राष्ट्रीय रूप से सम्मत मानव अधिकारों के मानकों का ध्यान में रखते हैं। उदाहरण के लिए, अधिकांश परिधान उद्योग संहिताएँ उच्चतर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation – ILO) के मानकों के बदले राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हैं। दूसरा, उनमें क्रियान्वयन तथा बाहरी मॉनीटरिंग और लेखा परीक्षा का अभाव है।

25.10 सारांश

जैसा कि वर्तमान विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत तेज से बढ़ रहा है और इसका टी एन सी शेयर दिन प्रतिदिन सुदृढ़ हो रहा है। बहुत से राज्य अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्वीकृत मानव अधिकारों को हलका किया जा रहा है। इस इकाई में स्पष्ट किया गया है कि व्यापार के कारण बहुत से मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। इकाई में मानव अधिकारों के संबंध में टी एन सी के उत्तरदायित्व के कई उदाहरणों के अध्ययन से हम देखते हैं कि जो लोग ट्रेड से संबंधित व्यापार के रास्ते में आते हैं, वे "नेमीतौर पर" आत्म निर्णय का अधिकार खो देते हैं और अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास अनुसरण की स्वतंत्रता भी खो देते हैं (आई सी ई एस सी आर, अनुच्छेद 1:1)। कुछ मामलों में व्यापार सम्बद्ध विकास परियोजनाओं का स्थानीय विरोध के कारण जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तियों की सुरक्षा का अधिकार भी अलग थलग पड़ जाते हैं (यू डी एच आर, अनुच्छेद 3)। अर्थव्यवस्था और सामाजिक हितों के संवर्धन और संरक्षण के लिए ट्रेड यूनियन बनाने ओर उसमें शामिल होने का अधिकार (यू डी एच आर, अनुच्छेद 23:4, आई सी ई एस सी आर, अनुच्छेद 8) भी दमन का लक्ष्य है। जीवन-निर्वाह का अधिकार का उल्लंघन तब किया जाता है जब लोगों को भोजन, वस्त्र और आवासन के परम्परागत साधनों से ही पृथक किया जाता है (आई सी ई एस सी आर, अनुच्छेद 11)।

सी ई डी ए डब्ल्यू के अधीन महिलाओं को दिए गए विशेष संरक्षण के प्रति कम ही सम्मान प्रतीत होता है, जब निर्यात माल के उत्पादन कार्य कम मज़दूरी पर आज्ञाकारी कामगारों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, वैज्ञानिक प्रगति का उपभोग करने और उसकी भागीदार बनने के अधिकार (यू डी एच आर, अनुच्छेद 27:2, आई सी ई एस सी आर, अनुच्छेद 15:6) ट्रिप्स कराने के लागू होने पर बहुत सीमित हो गए हैं।

व्यापार से संबंधित व्यवहारों के कारण भी पर्यावरण और प्राकृतिक आवासों की पर्याप्त क्षति के अलावा देशी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इसके अलावा, मुक्त व्यापार से धनी देशों को अधिक लाभ हो रहा है और धनी तथा गरीब देशों के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। इसके फलस्वरूप, गरीब राष्ट्रों की अवहेलना हो रही है। जब तक टी एन सी से अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त आचार संहिता का पालन नहीं करवाया जाता है जिनमें मानव अधिकारों के विस्तार किया जा सकता है तब तक लोगों के मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समकालीन व्यापार पद्धति के रूप में सुरक्षित नहीं रह सकते हैं।

25.11 अभ्यास प्रश्न

1) "अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय बिल" (International Bill of Rights) शब्दावली से आप क्या समझते हैं? इसमें उल्लिखित अधिकारों की सूची बनाइए।

2) "कुछ टी एन सी के पास कुछ राज्यों की तुलना में अधिक राजस्व है।" इस कथन के प्रकाश में टी एन सीज़ की आर्थिक शक्तियों की चर्चा कीजिए।

3) कुछ टी एन सीज़ द्वारा महिलाओं के अधिकारों के हनन के उदाहरण दीजिए।

4) टी एन सीज़ के कार्यों द्वारा पर्यावरण अधिकारों का उल्लंघन किस प्रकार हुआ है?

5) किस क्षेत्र में कुछ टी एन सीज़ द्वारा भारत में बाल मज़दूरों का शोषण हुआ है?

6) टी एन सीज़ द्वारा देशी लोगों के अधिकारों के उल्लंघन पर संक्षेप में चर्चा कीजिए।

7) क्या आप सोचते हैं कि टी एन सीज़ पर आचार संहिता लागू की जानी चाहिए?